

दिनांक 08.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक बिष्ट उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी उपस्थित। पत्रावली आज बहस हेतु नियत है। पक्षकारों की बहस सुनी गयी।

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19.07.2024 को पेश हो।

(लक्ष्मण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।